न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 218/2018

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जटसिख निवासी गांव 3 एफ छोटी तहसील व जिला जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. अजायबसिंह पुत्र श्री मुख्तयारसिंह जाति जटसिख निवासी गांव 3 एफ छोटी तहसील व जिला जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित ::–

1. प्रार्थी स्वयं
2. अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय
3. परोकार राज अप्रार्थी संख्या 2

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 28.05.2018

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 82/72 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 ता 15 कुल 15.00 बीघा रकबा नहरी राजस्व रिकार्ड दर्ज कागजात माल है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पास भी इसी चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 1, 2, 4 में 1.834 हैक्टर नहरी रकबा पड़ता है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी को अपनें रकबा में आनें जानें के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 5 में दक्षिणी दिशा की वाला 1–1 बिस्वा रास्ता चला आ रहा है जिसे प्रार्थी स्वीकृत करवाना चाहता है। क्योंकि प्रार्थी के रकबा में आनें जानें के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है रास्ता न होनें के कारण प्रार्थी को अपनी फसल बिजान्द व फसल को ले जानें में दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

अगर अप्रार्थी के रकबा में से चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 5 में से दक्षिणी दिशा की और वाला 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त रास्ता की एवज में क्षति पूर्ति के रूप में भूमि दे दी है तथा अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी करवा दिया है

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

प्रार्थी के रकबा में से रास्ता मन्जूर होनें पर राजस्व रिकार्ड में इस आश्य कर प्रविष्ठी की जानी है तथा लैण्ड होल्डर भी राज्य सरकार की तरफ से तहसीलदार साहब है इसलिये तहसीलदार साहब को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है, कि चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 5 में दक्षिणी दिशा की और वाला में से 1–1 बिस्वा आनें जानें के लिये रास्ता मन्जुर किये जानें का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रसतुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि मिकर के नाम से चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 5 में से दक्षिणी दिशा की और वाला किला नम्बर 6, 7, 8, 9, 10 के साथ 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तो मिकर को कोई आपत्ति नहीं है। मिकर को उक्त रास्ता की एवज में क्षतिपूर्ति स्वरूप भूमि प्राप्त हो चुकि है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य सुविधाजनक रास्ता का विकल्प नहीं है, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार एत रास्ता की एवज में क्षतिपूर्ति स्वरूप भूमि पूर्व में प्राप्त कर चुका है एवम् रास्ता स्वीकृत करनें सहमती दी है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवम् अप्रार्थी की सहमती के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

– :: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 5 में से दक्षिणी दिशा की और वाला किला नम्बर 6, 7, 8, 9, 10 के साथ 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 28.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 साहुवाला में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी, एवम्
उपखण्ड सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर